प्रेस विज्ञप्ति

विषय: पीएसीएल लि. द्‌वारा पेश किए गए प्रस्ताव से बेहतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सिविल अपील सं. (एस) 13301/2015 के संबंध में, अपने तारीख 23 फरवरी, 2018 के आदेश के माध्यम से, *अन्यों के साथ-साथ,* यह निर्णय दिया कि पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल लि. के संबंध में) की रिपोर्ट के अनुसार और इस समिति की देखरेख में की जा सकती है । इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया कि समिति बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी ।

उसके बाद, समिति ने तारीख 16 मार्च, 2018 के पत्र के माध्यम से, *अन्य बातों के साथ-साथ,* पीएसीएल लि. को यह भी सूचित किया कि समिति उपरोक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों आदि के अनुसार पीएसीएल लि. की पूरी संपत्तियों की बिक्री हेतु पीएसीएल के प्रस्ताव पर गौर करना चाहती है । उसके बाद, समिति को, *अन्यों के साथ-साथ,* तारीख 14 अप्रैल, 2018 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ । समिति ने पीएसीएल लि. द्‌वारा पेश किए गए प्रस्ताव से बेहतर प्रस्ताव आमंत्रित करने के इरादे से पीएसीएल लि. को भेजे गए अपने तारीख 16 मार्च, 2018 के पत्र को तथा पीएसीएल से प्राप्त तारीख 14 अप्रैल, 2018 के प्रस्ताव को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर अपलोड करवा दिया है ।

तदनुसार, जो भी व्यक्ति / एंटिटी / एंटिटियाँ पीएसीएल की संपत्तियों (जिनके ब्यौरे www.auctionpacl.com पर अपलोड किए गए हैं) की खरीद के संबंध में पीएसीएल लि. द्‌वारा तारीख 14 अप्रैल, 2018 के पत्र के माध्यम से पेश किए गए प्रस्ताव के मूल्य से अधिक मूल्य का प्रस्ताव पेश करने की इच्छा रखता/रखती हो / रखते/रखती हों, वह / वे व्यक्ति / एंटिटी / एंटिटियाँ अपना / अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता/सकती है / सकते/सकती हैं, बशर्ते कि तारीख 16 मार्च, 2018 के पत्र के पैरा 6 और पैरा 8 में दी हुई शर्तों का पालन किया जाए तथा ऐसे प्रस्ताव पर प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों और साथ ही उसमें ऐसे प्रस्ताव के कुल मूल्य का भी उल्लेख किया जाए तथा उसे समिति के पास मुहरबंद लिफाफे में 21 जून, 2018 तक इस पते पर अवश्य भिजवा दिया जाए : नोडल अधिकारी-सह-सचिव, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल लि. के संबंध में), सेबी भवन, प्लॉट सं. सी4-ए, “जी”-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 ।

इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए इस ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजा जा सकता है: committeepacl@sebi.gov.in ।